


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 97 /2021

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के C.L. No. 1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 05 April 2021 के माध्यम से निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन में तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश सं० 96/2021 दिनांकित 05.04.2021 के क्रम में लाकडाउन अवधि एवं उसके पश्चात जनपद न्यायालय सुलतानपुर में दिनांक 06.04.2021 से निम्नलिखित न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये मामलों की सुनवाई की समयावधि निम्न प्रकार से नियत की जाती है, जो अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगी:-


क्रम सं०	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य की समयावधि
1.	न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर।	11-30 to 12-30 & 02-00 to 03.00
2.	न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-16, सुलतानपुर	10.30 to 11.15, & 03.15 to 04.00

सभी सम्बन्धित सूचित हों।


जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
05.04.2021

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं दीवानी, सुलतानपुर।
- 2- वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, सुलतानपुर।
- 3- बार एसोसिएशन सुलतानपुर।
- 4- सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर सेन्टर, सुलतानपुर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।


जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
05.04.2021